

THE JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 674

28 Bhadra, 1938 (S)

Ranchi, Tuesday, 19th September, 2017

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

19th September, 2017

S.O. No.79- Dated - 19th September, 2017-- In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as "the said Act"), the Commissioner, hereby extends the time limit for furnishing the return by an Input Service Distributor under sub-section (4) of section 39 of the said Act read with rule 65 of the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, for the month as specified in column (2) of the Table below, till the date as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

_	_		
1	'a	h	e

Serial Number	Month	Last date for filing of return in Form GSTR-6
(1)	(2)	(3)
1.	July, 2017	8 th September, 2017
2.	August, 2017	23 rd September, 2017

2. This notification shall be deemed to be effective from the 28th day of August, 2017.

[File.No Va Kar / GST / 04/ 2017]

By the order of the Governor of Jharkhand

K. K. Khandelwal, Principal Secretary-cum Commissioner

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

19 सितम्बर, 2017

एस॰ ओ॰- 79, दिनाँक 19 सितम्बर, 2017-- आयुक्त, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्रचात इस अधिसूचना में "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 168 के साथ पिठत धारा 39 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 65 के साथ पिठत उक्त अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (4) के अधीन किसी इनपुट सेवा वितरक द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा का नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट मास के लिए उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट तारीख तक विस्तार करते हैं, अर्थात्:-

सारणी

क्र. सं.	मास	प्ररूप जीएसटीआर-6 में	
		विवरणी फाइल करने की	
		अन्तिम तारीख	
(1)	(2)	(3)	
1.	जुलाई, 2017	8 सितम्बर	
2.	अगस्त, 2017	23 सितम्बर	

2. यह अधिसूचना दिनांक 28 अगस्त, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

सं.सं. वा॰कर/जी॰एस॰टी॰/04/2017, झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

> के॰ के॰ खण्डेलवाल, प्रधान सचिव-सह-आयुक्त
